Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

भविष्य की रणनीति दिनॉक 11.10.2014

बधाई हो मित्रों राजस्थान के 20847 लोगो ने पोर्टल पर सूचना नही दे कर कहीं न कही फीस एक्ट का विरोध कर दिया है ।

जिन लोगो ने फार्म भरा है वो भी सरकार के दबाव मे भर गए एवं कुछ संस्थाओं ने अवगत कराया है कि कुछ संगठनों ने 145 प्रतिशत फीस बढाने की झूठी सूचना दे कर पोर्टल पर सूचना भरवा ली ।

जो हुआ अच्छा हुआ । दोस्तों आगे आपको चिन्ता करने की कोई जरूरत नही क्योकि आपने हम पर विश्वास किया है ।

राजस्थान मे लगभग 52,390 संस्थाएँ पंजीकृत है जिनमे से 37,500 पोर्टल पर पंजीकृत थी

आज दिनॉक को समीक्षा मीटिंग रखी गई जिसमे जिले वार सम्पूर्ण स्थिति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई –

हमारे द्वारा दिनॉक 12.8.2014 से आज तक किये गये कार्यो की समीक्षा मे हमारी कमियों एवं अच्छे पक्ष को देखने के साथ ही लोगों के द्वारा पोर्टल क्यों भर गया अथवा क्यों नही भर गया आदि पर विस्तारपूर्वक चर्चा के साथ ही अन्य संगठनो द्वारा गुमराह करने अथवा सरकारी अधिकारियों द्वारा पद का दुरूपयोग कर फार्म भरने की बात भी सामने आई ।

चर्चा के उपरान्त रोचक जानकारी सामने आई –

1. राजस्थान के 33 मे से कुछ जिलो मे हम नही जा पाये थे वहॉ निश्चित रूप से कुछ कमजोरी रही ।
2. शहरी क्षेत्र के संस्थाओं ने पोर्टल पर भरने मे ज्यादा रूचि दिखाई ।
3. कुछ ऐसे भी पदाधिकारी जिलों एवं प्रदेश मे है जिनके स्वयं स्कूल नाम मात्र के है तथा वे नेतागिरी करने मे आगे है उनको स्कूलों से कोई मतलब नही सिर्फ अपने निजी हितो को साधने के चक्कर मे स्कूलो का नुकसान कर देते है ।
4. एक संगठन के महामंत्री ने 145 प्रतिशत फीस हो जाने का झूठा मेसेज करवा कर लोगों को भ्रमित किया ।
5. सरकार ने पहली बार छोटे से ले कर बडे अधिकारियो के दबाव बनाये रखा ।

6. संस्थाएँ भ्रमित हो चुकी थी । कुछ संस्थाएँ जल्दबाजी मे पोर्टल पर पहले ही एंट्री कर चुकी थी ।

दोस्तों हम अपने पहले मकसद मे कामयाब रहे –– अर्थात संस्थाओं को कठिनाई है

इतने सब के बाद भी राजस्थान की 20847 संस्थाओं का पोर्टल पर सूचना नही देना कहीं न कहीं संस्थाओं की कठिनाई को दर्शाता है । हमारा सरकार से यही तो निवेदन था कि फीस एक्ट की धारा 15 का सम्मान करो जिसमे कठिनाई आने पर संशोधन का प्रावधान है ।

मित्रों हम यही चाहते थे यदि आप सभी और साथ देते तो ज्यादा अच्छा रहता ।

आगे की रणनीति निम्न प्रकार रहेगी ।

1 एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर फीस कमेटी द्वारा हमारे पत्रों पर जवाब नही देने के कारण सूचना नही देने की जानकारी सबके सामने लाना – अर्थात पोर्टल पर सूचना नही देने के हम नही फीस कमेटी दोषी है ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Tools

2. राजस्थान उच्च न्यायालय मे फीस निर्धारण कमेटी को मॉनीटर कर रहे केस मे संस्थाओं की तरफ से पार्टी बनने के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया है ताकि हम पर विश्वास करने वाली संस्थाओं का कोई अहित नही हो ।

3. एक फ्रेश वाद दायर करने का निर्णय भी लिया है जो एक्ट मे संशोधन व निर्धारण प्रक्रिया मे मुक्ति की बात अथवा शिकायत निवारण कानून मे परिवर्तन के मुददे पर किया जायेगा । पहले परीक्षण करवा रहे है ताकि किसी भी कीमत पर खारिज ना हो ।

4. अगले सप्ताह मे राजस्थान भर के 33 जिलों के प्रतिनिधियों से बात कर जहॉ के प्रतिनिधियों ने सहयोग नही किया वहॉ नया लोगों को मौका देने का निर्णय किया है ताकि वहॉ की संस्थाओं को फीस एक्ट से बचाया जा सके ।

5. सरकार के अगले कदम पर पूरी निगरानी रखे हुए है एवं सरकार से हुई अनआफिसियली वार्ता मे जो तथ्य अथवा मंशा सरकार की निकल कर आई है उस आधार पर वैधानिक उपायों का मॉग पत्र सरकर को देने का निर्णय किया है ।

6 अगले सप्ताह ही 33 के 33 जिलों के ब्लॉक वार प्रतिनिधियों की एक मीटिंग रखने का प्लान भी बना रहे है ताकि नई परिस्थितियों मे यदि कोई कठोर निर्णय भी लेना पडे तो सब साथ रहे ।

दोस्तों हम आपको यह विश्वास दिलाते है कि हम जो भी लडाई लड रहे हे वह ना सरकार के खिलाफ है और ना ही फीस कमेटी के । हम सिर्फ अपना कानूनी हक मॉग रहे है जो 1989 का अधिनियम हमे देता है । हम क्यों अपनी स्वायतता दूसरे के हवाले करे । सरकार के कुछ अधिकारी कह रहे है कि कोर्ट मे मामला है अत : सरकार कुछ नही कर सकती तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ———

1. माना कोर्ट ने संस्थाओं की मुनाफाखोरी रोकने को कानून बनाने का निर्देश सरकार को दिए ——
   माना कोर्ट ने निर्देश दिए पर कानून क्या हो , कैसा हो – इसकी जिम्मेवारी सरकार की होती है । सरकार चाहे तो किसी भी प्रदेश की तर्ज पर बना ले चाहे अपना स्वयं का नया कानून बना ले ।
   दोस्तो हमारा वर्तमान फीस एक्ट तमिलनाडू की तर्ज पर है वहॉ बहुत सारी संस्थाएँ बन्द हो चुकी है एवं नई नही खुल रही । बहुत सारे केस कोर्ट मे चल रहे है एवं वहॉ भी फीस एक्ट मे संशोधन की मॉग उठने लगी है । इन्ही परिस्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा ने अपने फीस एक्ट को पास करने मे तीन साल लगाए एवं अलग ही एक्ट बना दिया । – हमारी सरकार भी अब ऐसा ही कर सकती है । अथवा कोई ऐसा संशोधन करे जिसमे अभिभावको एवं संस्थाओं व सरकार के बीच का कोई रास्ता हो । तो कोर्ट कुछ नही कर सकेगा ।

2. जहॉ तक बात आती है संशोधन की तो – इस एक्ट की धारा 15 संशोधन की इजाजत सरकार को देता है जिस पर कानूनी रूप से कोर्ट किसी तरह प्रतिबन्ध नही लगा सकता है । पिछले दिनो मीटिंग मे एक अधिकारी ने कहा कि आप के कुछ संगठनों ने एक्ट को कोर्ट मे चैलेन्ज कर रखा है इसीलिए सरकार संशोधन नही कर सकती – दोस्तो ऐसा नही है संशोधन भी एक धारा है जिस पर कोर्ट विधानसभा के मामले मे हस्तक्षेप नही कर सकती है । यदि जरूरत पडी तो हम कोर्ट मे पाटी बन कर व्यवहारिक कठिनाईयों का हवाला देते हुए कोर्ट से इस बारे मे सरकार को छूट देने की बात रखेगे वैसे कोई जरूरत नही पडेगी ।

दोस्तो हमे आपका साथ चाहिए राजस्थान भर के हमारे जितने भी स्कूल वाले साथी है अपने – अपने ब्लॉक अथवा जिले का वाटसअप ग्रुप बनाएँ एवं मुझे मेसेज करे ताकि

9983333844 मै आपको नियमित अपडेट करता रहूँ एवं साथ ही आप यदि कोई जानकारी रखते है तो जरूर लिखे ताकि हमारे सभी साथियो को फायदा मिले ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total